

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/लुज/18339/कोर्टकेस/2023/371 दिनांक:- 01-9-2023

अधीक्षक,

महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय,
उदयपुर।

विषय:- अवमानना प्रकरण संख्या 903/2022 श्री सुखलाल धाकड, बनाम सरकार
व अन्य की पालना में संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एस0ओ0सी0बी0 2023/429 दिनांक 27.07.2023 के
कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा अवमानना प्रकरण संख्या
903/2022 श्री सुखलाल धाकड, बनाम सरकार व अन्य में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा
गया है के कम में लेख है कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करने हेतु निदेशालय के
आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-प्रथम/विविध 06/एसीपी पार्ट-1/2023/00766/356 दिनांक
24.08.2023 के द्वारा कार्मिक को 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी प्रति आपको
भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है माननीय न्यायालय में आगामी तारीख पेशी पर राजकीय
अधिवक्ता से सम्पर्क कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रकरण का निस्तारण कराना सुनिश्चित
करे। तथा की गई कार्यवाही की वस्तुस्थिति से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश नवल)

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यसेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/लुज/18339/कोर्टकेस/2023/371 दिनांक:- 01-9-2023

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर ।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
कराने का श्रम करावे।
4. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director

Date :31-08-2023 11:34:45

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/नर्स-1/विविध-6/एसीपी पार्ट-01/2023/00766/2023/356 दिनांक:-24/8/2023

:-आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20(1) एफ.डी.रूल्स/गुप-2/92 दिनांक 17.02.98, एफ 11(7) एडी/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008, एफ14(88) वित्त(नियम) /2008-1/दिनांक 31.12.2009 एव एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14(88) एफडी/नियम/2008 दिनांक 18.12.2020 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 09 वर्ष, 18 वर्ष एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क.सं. | कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री) | पद | पदस्थापन जिला | प्रथम नियुक्ति तिथि | देय एसीपी की दिनांक | देय पे बैंड एसीपी/पे - मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड | देय ग्रेड-पे/ पे- मैट्रिक्स लेवल |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | सुखलाल धाकड | नर्सिंग ट्यूटर | उदयपुर | 11.07.1990 | 11.07.2017 27 वर्ष | L-13 | L-15 |

नोट:-कार्मिक के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/नर्स-1/विविध-6/एसीपी पार्ट-01/2023/00766/2023/356 दिनांक:-24/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आर0एन0टी0चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर।
3. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर